पत्रांक- \59\ /एस०टी०-ए०डी०एम० (सिटी)/2020 दिनांक:25-03-2020

(कोविड—19) अस्थायी वाहन अनुज्ञा पत्र

इस प्रतिबंध के साथ अनुमित प्रदान की जाती है कि जिस उ्देश्य से वाहन के प्रवेश की अनुमित चाही गयी है, मात्र उसी उद्देश्य से ही वाहन का प्रवेश होगा, अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन पाये जान पर नियमों के विरुद्ध संचालन / प्रवेश की स्थिति में निमयानुसार विधिक कार्यवाही संबंधित थाना हाजा द्वारा सम्पादित की जायेगी। सम्बंधित थाना प्रभारी उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रवाभी कार्यवाही सुनिश्चित की करेंगे।

- 01. आवेदक का नाम-सुदेश श्रीवास्तव(उपाध्यक्ष)
- 02. फर्म/एजेंसी का नाम-मैग्नस वैंचर्स लिमिटेड, 18/41 साईट-4, साहिबाबाद इण्ड0 एरिया, गाजियाबाद।
- 03. वाहन का प्रकार एवं नम्बर-ट्रकों द्वारा
- 04: उदेश्य-कोयले की आपूर्ति(रैक)रूट-गढमुक्तेश्वर से गाजियाबाद।
- 05. यह अनुमति केवल कोयला ढोने के लिये ही वैध है।

बाहन ओवर लोडिंग नहीं करेंगे।

07. अनुमति दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 27-03-2020 तक मान्य

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर) गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:-

पुलिस अधीक्षक(नगर / ग्रामीण / यातायात) गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर) गाजियाबाद। पत्रांक- \59\ /एस०टी०-ए०डी०एम० (सिटी)/2020 दिनांक:25-03-2020

(कोविड-19)

अस्थायी वाहन अनुज्ञा पत्र

इस प्रतिबंध के साथ अनुमित प्रदान की जाती है कि जिस उदेश्य से वाहन के प्रवेश की अनुमित चाही गयी है, मात्र उसी उद्देश्य से ही वाहन का प्रवेश होगा, अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन पाये जान पर नियमों के विरुद्ध संचालन / प्रवेश की स्थिति में निमयानुसार विधिक कार्यवाही संबंधित थाना हाजा द्वारा सम्पादित की जायेगी। सम्बंधित थाना प्रभारी उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रवाभी कार्यवाही सुनिश्चित की करेंगे।

- 01. आवेदक का नाम-सुदेश श्रीवास्तव(उपाध्यक्ष)
- 02. फर्म / एजेंसी का नाम-मैग्नझ वैंचर्स लिमिटेड, 18 / 41 साईट-4, साहिबाबाद इण्ड0 एरिया, गाजियाबाद।
- 03. वाहन का प्रकार एवं नम्बर-ट्रकों द्वारा
- 04: उदेश्य-कोयले की आपूर्ति(रैक)रूट-गढमुक्तेश्वर से गाजियाबाद।
- 05. यह अनुमति केवल कोयला ढोने के लिये ही वैध है।

वाहन ओवर लोडिंग नहीं करेंगे।

07. अनुमति दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 27-03-2020 तक मान्य

ह्या।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर) गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:-

पुलिस अधीक्षक(नगर/ग्रामीण/यातायात) गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर) गाजियाबाद।